कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–अलवर

खुली बिक्री योजना
"विशेष आवंटन अभियान"

योजना की प्रारम्भ तिथि
12.03.2018

आवासीय योजना एन0ई0बी0 विस्तार, अलवर में पूर्व पंजीकृत एंव नए आवेदकों के लिए नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत बहुमंजिलेआवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि
11.04.2018

फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त किए जाकर उसी दिन सांय 04.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/ लॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

1. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध बहुमंजिले आवासों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	लागत	Land Chargeable Area (Sqm.)	फ्लेट संख्या
LIG (G+3) NEB-Ext, Alwar					
1	LIG (G.F)	10	1386300.00	27.392	6A/L/GF/18 6B/L/GF/01, 04, 20 6C/L/GF/02, 04, 19 6D/L/GF/02, 04, 18
2	LIG (F.F)	8	1299500.00	18.072	6A/L/FF/06, 08, 22 6B/L/FF/06, 07 6C/L/FF/05, 07 6D/L/FF/07
3	LIG (S.F)	14	1277700.00	15.742	6A/L/SF/09, 10 6B/ L/SF/11, 12, 26, 27 6C/ L/SF/09, 11, 25 6D/L/SF/09, 10, 12, 27, 28
4	LIG (T.F)	13	1234300.00	11.082	6A/L/TF/13, 14, 16, 29, 30, 31 6B/L/TF/13, 15 6C/L/TF/15, 16, 30 6D/L/TF/13, 30
MIG-A (G+3) NEB-Ext., Alwar					
1	MIG-A (G.F)	6	2222400.00	41.619	7B/MI/GF/01 7C/MI/GF/01

					7D/MI/GF/03 7E/MI/GF/01, 04 7F/MI/GF/04
2	MIG-A (F.F)	5	2069600.00	27.546	7A/MI/FF/07 7B/MI/FF/05 7C/MI/FF/08 7D/MI/FF/07 7E/MI//FF/05
3	MIG-A (S.F)	7	2031400.00	24.028	7A/MI/SF/10 7B/MI/SF/10, 11 7C/MI/SF/11 7D/MI/SF/11 7E/MI/SF/11 7F/MI/SF/11
4	MIG-A (T.F)	8	1955000.00	16.992	7A/MI/TF/13 7B/MI/TF/14 7D/MI/TF/14, 15 7E/MI/TF/15, 16 7F/MI/TF/13, 16

2. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरणः–

क्र. सं.	आवास/ फ्लेट की श्रेणी	वार्षिक आय	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रूपयें में)		
			पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल राशि
1	LIG	100001.00 से 250000.00 तक	15000.00	10000.00	25000.00
2	MIG-A	250001.00 से 450000.00 तक	50000.00	40000.00	90000.00

श्रेणीवार वार्षिक आय की संशोधित आय सीमा मण्डल में विचाराधीन है। तत्समय लागू आय सीमा ही मानी जाएगी।

नोट :–

1. आवास/फ्लेट का आवंटन ''जहां है जैसा है'' की अवस्था में किया जावेगा।
2. इसयोजनाकी अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट(http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।
3. लीज राशि, लीगल व्यय राशि व अन्य विविध राशि अलग से देय होगी।

–ःसम्पर्क सूत्रः–

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल
बस स्टैण्ड के पास, अलवर
दूरभाष नम्बर :– 0144–2332612

निर्देश एवं आवश्यक शर्ते

01. इस योजना के आवेदन फार्म उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर के कार्यालय से राशि **रू. 300.00** + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. कुल रू. 354/- नकद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना में कोई भी आवेदक अपने आय वर्गानुसार फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन फार्म पर आवेदक को पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटेरी पब्लिक से आवेदन फार्म व फोटो सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं प्रस्तावित फ्लैटो का आवंटन '' जहॉ है जैसे है '' की स्थिति में किया जायेगा। आवास में कमी अन्य टूट फूट के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
02. सामान्य पंजीकरण योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदक की जमा पंजीकरण एवं अन्य राशि का समायोजन आवंटन पत्र जारी करते समय किया जावेगा।
03. इस योजना में फ्लैट हेतु प्रत्येक कार्य दिवस को सायं 3.00 बजें तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे तथा आवंटन हेतु गठित समिति के समक्ष 4.00 बजें से फ्लैटों का आवंटन किया जावेगा। प्राप्त होने वाले आवेदनों में एक फ्लैट के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर फ्लैट का आवंटन उपस्थित आवेदकों के सामने लॉटरी द्वारा किया जावेगा। शेष बचे हुए आवासों की सूची अगले कार्य दिवस पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाऐगी।
04. आवेदन को आवेदन पत्र के साथ पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
05. फ्लैटो का आवंटन केवल नकद भुगतान पद्वति पर ही किया जावेगा।
06. इस योजना में सामान्य पंजीकरण योजना के केवल पंजीकृत आवेदको को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में पंजीकरण की राशि का अभी तक रिफण्ड प्राप्त नहीं किया है, कोई आवास/ फ्लैट आवंटित नहीं है तथा किसी अन्य योजना में स्थानान्तरित नहीं करवाया गया है एवं पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर फ्लैट का आवंटन सामान्य श्रेणी का ही नया आवेदक मानकर किया जा सकेगा।
07. आवेदक को वर्तमान आय का प्रमाण पत्र आवेदन फार्म में दी गई सारणी अनुसार अपने नियोक्ता/नोटेरी पब्लिक से 50/- रूपये के नोन ज्यूडिसियल स्टॅाम्प पर सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही अपनी वर्तमान आय के अनुरूप '' राजस्थान आवासन मण्डल अलवर के पक्ष में देय राशि का बैक ड्राफ्ट बनवाकर जमा करवाना होगा :-
08. फ्लैट का आवंटन पत्र नगद भुगतान पद्वति के अन्तर्गत जारी किया जायेगा, जिसमें पूर्व पंजीकृत आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि एवं मण्डल नियमानुसार देय ब्याज (यदि कोई हो तो) का समायोजन किया जाकर फ्लैट की शेष लागत के अतिरिक्तः- एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जेज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ), (ब) के लिए 2 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत देय होगा।
09. फ्लैट की पूर्ण लागत का जी.एस.टी., लीगल चार्जेज, नक्शे की राशि व अन्य देय राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।
10. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होगे।

11. आवेदन पत्र में दर्शायी गई मॉग राशि, आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

12. निर्धारित अवधि में मण्डल द्वारा फ्लैट की चाही गई राशि आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाऐगी।

13. आवंटन निरस्तीकरण पर जमा सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जप्त कर ली जावेगी।

14. इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास न मिलने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराया गया मूल ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जावेगा। आवेदक स्वंय वृत्त कार्यालय अलवर से अपना मूल ड्राफ्ट व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते हैं।

15. आवेदक इच्छानुसार आवास क्रय करने हेतु आवेदन पत्र में वरीयतानुसार तीन आवासों के नम्बर विकल्प स्वरूप अंकित कर सकता है।

16. इच्छित आवास न मिलने की स्थिति में जमा कराई गई राशि का ड्राफ्ट अगले दिन किसी अन्य विकल्प हेतु वैध रहेगा तथा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा या ड्राफ्ट वापस प्राप्त कर सकेगा।

17. एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वर्णित वरीयता के आधार पर आवंटन किया जावेगा :–
    1. अलवर शहर के नकद भुगतान पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
    2. अलवर शहर के किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
    3. नए नगद भुगतान पद्धति के आवेदक।

18. यदि इस योजना में कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक आवास प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी पत्रावली मूल वरीयतानुसार भविष्य में आवंटन हेतु रख दी जावेगी।

19. पूर्व पंजीकृत आवेदक को आवंटित आवास अस्थाई रूप से प्रस्तावित माना जावेगा। मूल पंजीकरण पत्रावली के साथ आवेदन पत्र की जांच के पश्चात ही आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।

20. पूर्व पंजीकृत आवेदक जिनका पूर्व में आवंटन होने के पश्चात पंजीकरण एंव निरस्त किया जा चुका है एंव उन्होने पंजीकरण राशि मण्डल से लेने हेतु प्रार्थना पत्र एंव अग्रिम रसीद एंव मूल चालान जमा नहीं कराए हैं वे पूर्व पंजीकृत आवेदक नहीं माने जायेगें।

21. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की नियमानुसार कमी पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

22. इस योजना के अन्तर्गत आवासों की उपलब्धता के आधार पर आवासों की संख्या घटत–बढत की जा सकती है।

23. मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना आवंटी द्वारा की जायेगी।

मैनें उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तों का अवलोकन कर लिया हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

(वेतन भोगी आवेदको के लिए)

<u>आय प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में .... पद पर कार्यरत है एवं ये (केन्द्र/राजस्थान अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रूपये .... प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

प्रारूप

(पचास रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र का प्रारूप)

(पंजीकृत आवेदको के लिए)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... आयु .... सशपथ बयान करता हूँ/करती हूँ :–

कि मुझे राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मेरे पंजीकरण संख्या .... वर्ष .... आय वर्ग .... शहर .... पर कोई आवास/फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है तथा न ही मेरे द्वारा इस पंजीकरण के पेटे मण्डल में जमा राशि रूपये .... अक्षरों में रूपये .... की वापसी ली है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... आयु .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नही गया है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

उपरोक्त शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए

प्रारूप

(अवैतनिक वर्ग के आवेदको के लिए)
(आय प्रमाण पत्र हेतु शपथ–पत्र)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
निवासी .... आयु .... वर्ष ....
जाति ....सशपथ बयान करता हूँ/करती हूँ :–

अ. स्वयं की आय व्यापार, उधोग, एजेन्सी, कृषि उधोग,दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रूपये थी।

ब. मेरे पति/पिता/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी उधोग, एजेन्सी, दुकान अथवा कृषि उधोग अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय .... रूपये थी।

स. वर्ष 2016–17 के दौरान समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय राशि .... रूपये थी।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
निवासी .... आयु .... सत्यनिष्ठा से घोषण करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नही गया है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

उपरोक्त शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त–अलवर

आवेदन पत्र की परीक्षण–सूची

(आवेदक द्वारा भरा जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।)

आवेदन पत्र संख्याः–..

खुली बिक्री योजना–2018

कॉलोनी / शहर का नामः–.. आय वर्गः–...

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदक द्वारा	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
2	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
3	क्या आवेदक के फोटो पहचान पत्र ही सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न हैं (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
4	क्या आवेदक द्वारा पत्ते के प्रमाण–स्वरूप दस्तावेज संलग्न हैं (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
5	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की छाया प्रति संलग्न की हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
6	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
7	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
8	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
9	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफट संलग्न है ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
10	पूर्व पंजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न हैं ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
3. अन्य टिप्पणी ....

सहायक कार्यालय अधीक्षक कार्यालय अधीक्षक सहायक आवासन अधिकारी